

कार्यालय— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (दीवानी न्यायालय)जालौन।
पत्रांक — सीजे /जिविसेप्रा/2025/मीडियेशन/ज्ञाप, दिनांक—08.08.2025

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

मा0 अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस जनपद के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा "माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक— 01.07.2025 से 30.09.2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में उक्त अभियान के सफल आयोजन हेतु जनपद जालौन में ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिन्होंने एम0सी0पी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, मध्यस्थता के कार्य हेतु इच्छुक व पात्र न्यायिक अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की वेबसाइट www.upslsa.up.nic.in से आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करके ईमेल-आईडी0 upslsa@nic.in पर प्रेषित कर सकते हैं तथा उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन स्थान-उरई में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान-उरई

प्रति—

1. मा0 अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ उरई एवं समस्त तहसील बार संघ अन्तर्गत जिला जालौन।
3. जिला सूचना अधिकारी, जालौन को समस्त समाचार-पत्रों में न्यूज-आइटम के रूप में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. जिला दीवानी न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलैक्ट्रेट जालौन एवं जिला अधिवक्ता संघ जालौन के सूचना बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, जालौन को उपरोक्त सूचना को जिला दीवानी न्यायालय जालौन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, को उपरोक्त सूचना "सालसा" की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान-उरई

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान-उरई